न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग
इजलाश श्रीमान सुनील कुमार झिंगोनिया आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग
मुकदमा नं0 57/2022

1. सरफू पुत्र इदरीश जाति मेव निवासी ग्राम नौगावां तहसील कामां जिला (डीग)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, तहसील कामां, डीग, राजस्थान

उपस्थित अधिवक्तागण

अप्राथी

1–प्रार्थी अधिवक्ता श्री बृजलाल शर्मा।
2–पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
भू–राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय

दिनांक 26.07.2024

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के तहत पेश किया कि सविक खसरा नम्बर 3729/2217 रकबा 0.26 एयर किस्म बंजड कदीम सोहनलाल पुत्र चन्दन के 22/90 हिस्सा, गोपाल पुत्र श्यामलाल के 1/18, सरफु पुत्र इदरीश के 7/10 हिस्सा की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी। जिसका जरिये इन्तकाल नं0 874 से विभाजन कर लिया उस विभाजन में 3777/2217 रकबा 0.18 एयर किस्म बंजड कदीम प्रार्थी के हिस्से व कब्जे में आया एवं 3776/2217 रकबा 0.08 एयर किस्म बंजड कदीम सोहनलाल व गोपाल हिस्से व कब्जे में आया। सबूत में नकल दा. खा.नं. 874 पेश है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा प्रार्थी के सविक खसरा नम्बर 3777/2217 रकबा 0.18 एयर किस्म बंजड कदीम के खसरा नम्बर 133, 382 कायम किये एवं सोहन लाल–श्यामलाल के सविक खसरा नम्बर 3776/2217 रकबा 0.08 एयर के खसरा नम्बर 381, 385 कायम कर हाल जमाबन्दी में खसरा नम्बर 133, 382 को प्रार्थी के नाम व खसरा नम्बर 381, 385 को सोहनलाल व श्यामलाल व उनके वारिसान की खातेदारी मे इन्द्राज दर्ज कर दिये गये। सबूत में नकल जमाबन्दी पेश है। गोपाल वगै0 का कुल रकबा 0.08 हैक्टर था जिसके स्थान पर हाल राजस्व रिकॉर्ड 0.11 हैक्टर एवं प्रार्थी की खातेदारी में 0.18 हैक्टर रकबा था जिसको हाल राजस्व रिकॉर्ड में 0.15 हैक्टर भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा गलत दर्ज किया गया है। प्रार्थी का रकबा 0.03 हैक्टर रकबा गोपाल वगै0 के खसरा नम्बर 385 में बढाया गया है। खसरा नम्बर 385 के रकबा से लगता हुआ प्रार्थी का खसरा नम्बर 382 है जिसका रकबा 0.06 एयर दर्ज किया हुआ है जो गलत दर्ज किया गया इसलिए खसरा नम्बर 382 का रकबा 0.06 के स्थान पर 0.09 हैक्टर दुरूस्त किया जावें। प्रार्थी के खसरा नम्बर 382 रकबा 0.09 हैक्टर जिसकी किस्म बंजड कदीम है परन्तु भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा हाल राजस्व रिकॉर्ड खसरा नम्बर 382 की किस्म गैर0मु0 सडक कतई गलत पूर्व राजस्व रिकॉर्ड के खिलाफ दर्ज की गई है। जबकि भू–प्रबन्धक विभाग के आराजी खसरा नम्बर 382 की किस्म परिवर्तन करने

उपखण्ड अधिकारी

का कानूनन अधिकार नहीं था। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 382 का रकबा 0.06 हैक्टर के स्थान पर 0.09 हैक्टर एवं किस्म गैर0मु0 सडक के स्थान पर बंजड कदीम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गयां। गैर सायल तहसीलदार कामां को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल तहसीलदार कामां द्वारा अपना जबाव/रिपोर्ट पत्रांक एल.आर./2023/2159 दिनांक 04.10.2023 के माध्यम से प्रस्तुत किया कि प्रार्थी सरफू पुत्र इदरीश जाति मेव निवासी नौगावां तहसील कामां में ग्राम जुरहरा–2 के हाल आराजी खसरा नम्बर 382 का रकबा 0.06 हैक्टर के स्थान पर 0.09 हैक्टर तथा किस्म गै0मु. सडक के स्थान पर बन्जड कदीम की शुद्धि चाही है। जिसमें पटवारी हल्का जुरहरा–2 से रिपोर्ट निम्नानुसार है– मुताबिक नामा0 सं0 874 विभाजन से खसरा नम्बर 3777/2217 रकबा 0.18 सरफू पुत्र इदरीश व आ0ख0 नम्बर 3776/2217 रकबा 0.08 पर सोहनलाल पुत्र गोपाल के हिस्सा में आता है। सविक ख0न0 3777/2217 रकबा 0.18 के भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा आ0ख0न0 133/0.09, 382/0.06 किता 2 रकबा 0.15 है0 हाल नम्बर बनाये गये है। जो सरफू पुत्र इदरीश के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। तथा सविक खसरा नम्बर 3776/2217 रकबा 0.08 है0 जिसके भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा हाल नम्बर 381/0.01, 385/0.10 बनाये गये है जिसके सोहनलाल पुत्र श्यामलाल खातेदार दर्ज रिकार्ड है। भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा सरफू खातेदार को 0.18 है0 रकबा के स्थान पर 0.15 है0 दिया गया है। तथा सोहनलाल खातेदार को 0.08 है0 के स्थान पर 0.11 है0 रकबा किया गया है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा ख0न0 382/0.06 की किस्म गै0मु0सडक दर्ज की गयी है। जबकि पुरानी जमाबन्दी में उसकी किस्म बन्जड कदीम है। आराजी खसरा नम्बर 381 व 385 पर इस न्यायालय का यथास्थिति बनाये रखने हेतु नोट लगा हुआ है।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए नकल जमाबन्दी सं0 2032, 2074–2077, नकल दाखिल खारिज संख्या 874, मिलान खसरा, नकल मौका रिपोर्ट दिनांक 22.8.2022, पेश किया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र का मनन किया तथा तहसीलदार रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया कि सविक ख0न0 3777/2217 रकबा 0.18 के भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा आ0ख0न0 133/0.09, 382/0.06 किता 2 रकबा 0.15 है0 हाल नम्बर बनाये गये है। जो सरफू पुत्र इदरीश के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। तथा सविक खसरा नम्बर 3776/2217 रकबा 0.08 है0 जिसके भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा हाल नम्बर 382/0.01, 385/0.10 बनाये गये है जिसके सोहनलाल पुत्र श्यामलाल खातेदार दर्ज रिकार्ड है। भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा सरफू खातेदार को 0.18 है0 रकबा के स्थान पर 0.15 है0 दिया गया है तथा सोहनलाल खातेदार को 0.08 है0 के स्थान

उपखण्ड अधिकारी

पर 0.11 है0 रकबा किया गया है। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा ख0न0 382/0.06 की किस्म गै0मु0सडक दर्ज की गयी है। जबकि पुरानी जमाबन्दी में उसकी किस्म बन्जड कदीम है। सरफू पुत्र इदरीश का रकवा 0.03 हैक्टर रकवा गोपाल दगैरा के खसरा नम्बर 385 में बढाया गया है। खसरा नम्बर 385 के लगता हुआ सायल आराजी खसरा नम्बर 382 है जिसका रकवा 0.06 एयर दर्ज किया हुआ है जो गलत दर्ज किया गया इसलिए खसरा नम्बर 382 का रकवा 0.06 है0 के स्थान पर 0.09 हैक्टर किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: आदेश ::-

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड के मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 382 का रकवा 0.06 के स्थान पर 0.09 हैक्टर एवं गैर0मु0सडक के स्थान पर बंजड कदीम दर्ज किया जाता है। इस न्यायालय के द्वारा जारी यथास्थिति बनाये रखने के नोट का निस्तारण होने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय सरे इजलास पढकर सुनाया गया।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
सहायक कलक्टर एवं
[redacted]